

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 जून 2019—ज्येष्ठ 11, शक 1941

### नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

अधि.—क्र.—06—एफ—1—15—2018—अठारह—3.— मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 14 की उपधारा (2) एवं 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित, धारा 32 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

प्ररूप-तीन  
(नियम-24(2) देखिए)  
नामनिर्देशन पत्र

मैं, प्रस्तावक, नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती हूँ:-

जिला				हाल ही का स्टाम्प आकार का छाया चित्र ( 2 सेंटीमीटर x 2. 5 सेंटीमीटर) चेहरे के सामने की आकृति स्पष्ट हो, चिपकाएं
*नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर परिषद् का नाम				
*पद का नाम, जिसके निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामनिर्दिष्ट किया गया है.	महापौर	अध्यक्ष	पार्षद्	
पार्षद् के पद हेतु नामनिर्देशन की दशा में वार्ड क्रमांक.				

## अभ्यर्थी के ब्यौरे

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम			
2.	*लिंग (किसी एक पर ✓ करें)	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी का डाक का पूरा पता			
5. अभ्यर्थी का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के ब्यौरे				
नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद् /नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जहां अभ्यर्थी का नाम दर्ज है		मतदाता सूची का भाग क्रमांक जहां अभ्यर्थी का नाम दर्ज है	मतदाता सूची में अभ्यर्थी का अनुक्रमांक	

## प्रस्तावक के ब्यौरे

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम			
7.	लिंग(किसी एक पर ✓ लगाए)	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक का डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाइल नम्बर			

## 11. प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने के ब्यौरे

नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का वार्ड क्रमांक जहां प्रस्तावक नाम दर्ज है-	प्रस्तावक नाम दर्ज है-	मतदाता सूची में अनुक्रमांक

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें.

तारीख .....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम .....

## अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन की सहमति

मैं ऊपर वर्णित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन को अपनी सम्मति देता/देती हूँ और मेरे ब्यौरे निम्न हैं—

12.	जन्मतिथि	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	संवीक्षा तिथि को आयु (वर्षों में)								
14.	जाति/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग)								
15.	जाति नाम (अनारक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में)								
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम								
17.	** राजनैतिक दल का नाम, जिसके द्वारा निर्वाचन में खड़ा किया गया है								
18.	अधिमान क्रम में चुने गये प्रतीको	1.							
		2.							
		3.							
19.	मत पत्र में हिन्दी में मुद्रित किए जाने वाले अभ्यर्थी का नाम								
20.	मत पत्र में अंग्रेजी में मुद्रित किए जाने वाला अभ्यर्थी का नाम								
21.	अभ्यर्थी का मोबाइल नम्बर								

उपरोक्तवर्णित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास में सत्य है तथा मैं उपरोक्तवर्णित 'नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् के महापौर/अध्यक्ष/पार्षद् के स्थान के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम .....

तारीख.....

**नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज**

अनुक्रमांक	दस्तावेजों के ब्यारे	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्वत, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता घोषित करने से संबंधित शपथपत्र दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रति के साथ.	
2.	प्ररूप-8 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के अधीन राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की दशा में,	

3.	प्ररूप-9 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के अधीन राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किये जाने की दशा में,	
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति।	
5.	प्रतिभूति जमा किए जाने की रसीद.	
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन विद्युत् कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन 'नगरपालिका निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.	
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन छायाचित्र.	
9.	अन्य-	
10.	अन्य-	

\*लागू न होने वाला शब्द काट दें।

\*राजनैतिक दल द्वारा खड़ा न किए जाने की स्थिति में सम्मुख कॉलम में 'निर्दलीय' अंकित कीजिए.

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम .....

तारीख .....

( रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाने का समय		
4.	* रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे, जिसके लिए अन्यर्था को पावती दी गई है.

(कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में वही जानकारी भरी जाए जो अन्यर्था को पावती में लिखी गई है.)

अनुक्रमांक	दस्तावेज के ब्यौरे	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है, तो उक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समयसीमा	
			तारीख एवं समय	अवसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्वत, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की जानकारी घोषित करने के सम्बंध शपथपत्र दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ.			रिटर्निंग ऑफिसर को केवल नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
2.	प्ररूप-8 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के अधीन राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की दशा में,			नाम वापसी के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व

3.	प्ररूप-9 मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के अधीन राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की दशा में,			नाम वापसी के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
5.	प्रतिभूति जमा किए जाने की रसीद.			प्रतिभूति राशि जमा किये जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1959 की धारा-17 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन विद्युत् कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/ नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व

8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन छायाचित्र.			नाम वापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य—			
10.	अन्य—			

जो लागू न हो उसे काट दें.

.....  
रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका)  
के हस्ताक्षर

तारीख .....

नाम .....

नामनिर्देशन पत्र को स्वीकृत या प्रतिक्षेपित करने के सम्बंध में रिटर्निंग ऑफिसर का विनिश्चय मैंने इस नामनिर्देशन पत्र का परीक्षण मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-28 के अनुसार कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप से विनिश्चय करता हूँ- (\*\*)

.....  
.....  
.....

.....  
प्रस्तावक के  
हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

तारीख .....

नाम .....

यदि नामनिर्देशन पत्र प्रतिकेपित किया जाता है तो उसके कारणों को लिखें.

अभ्यर्थी को प्रदान करने के लिए नामनिर्देशन पत्र की पावती और संवीक्षा करने की सूचना.

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	* नगरपालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का नाम		
7.	उसपद का नाम जिसके निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है. (पार्षद की स्थिति में वार्ड क्रमांक अंकित किया जाए)		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तारीख		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
10.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे

अनुक्रमांक	दस्तावेज के ब्यौरे	संलग्न (हैं/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है, तो उपरोक्त दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करने की समय सीमा	
			तारीख एवं समय	अवसर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-24(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता की घोषित करने के सम्बंध में शपथपत्र दो हस्ताक्षरित अतिरिक्त प्रति के साथ.			रिटर्निंग ऑफिसर को केवल नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय शपथपत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
2.	<b>प्ररूप-8</b> मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के अनुसार राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की दशा में,			नाम वापसी के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
3.	<b>प्ररूप-9</b> मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम-31(2) के अनुसार राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए जाने की दशा में,			नाम वापसी के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
4.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र की प्रति.			संवीक्षा के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व

5.	प्रतिभूति जमा किए जाने की रसीद.		प्रतिभूति जमा किए जाने की रसीद, रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करते समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
6.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1959 की धारा-17 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन विधूत कम्पनी का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.		संवीक्षा के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
7.	*मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा-17 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा-35 के अधीन नगरपालिक निगम/ नगरपालिका परिषद्/नगरपरिषद् का बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाणपत्र.		संवीक्षा के लिए अधिसूचित दिनांक एवं समय के पूर्व
8.	मतपत्र पर मुद्रित करने के लिए अभ्यर्थी का स्टाम्प आकार का एक अतिरिक्त रंगीन छायाचित्र.		नाम वापसी के लिए निर्धारित दिनांक एवं समय के पूर्व
9.	अन्य-		
10.	अन्य-		

जो लागू न हो उसे काट दें.

रिटर्निंग ऑफिसर (नगर पालिका)  
के हस्ताक्षर

तारीख .....

नाम .....

सील .....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2019

अधि-क्र-06-एफ-1-15-2019-अठारह-3- भारत के संविधान अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 06 एफ-1-15/2019/अठारह-3, दिनांक 01 जून 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल क प्राधिकार में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव निगम, उपसचिव.

No. 06 F-1-15-2018-XVIII-3.-

Bhopal, the 1st June 2019

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 and section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (2) of Section 32 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, with consultation of the State Election Commission, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994, namely :-

### AMENDMENTS

In the said rules, for Form-III, the following Form shall be substituted, namely-

### FORM-III

[See Rule- 24(2)]

### Nomination Paper

I, the Proposer, nominate the following for the election of \*Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council:-

District				Affix a recent Stamp size (2cm X 2.5cm) photograph with clear frontal face image.
*Name of the Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council				
*Name of Post, for which candidate is Nominated for election	Mayor	President	Councillor	
Ward No. In case of nomination for the post of Councillor				

#### Details of Candidate

1.	Candidate's full Name			
2.	*Sex (tick ✓ anyone)	Male	Female	Other
3.	Father's/Husband's name of candidate			
4.	Full postal address of candidate			

#### 5. Details of Candidate's name entered in voter list

*Ward No. of Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council where candidate's name is entered	Part No. of the Voter List where candidate's name is entered	Candidate's Serial No. in the Voter List.

#### Details of the Proposer



6.	Full Name of Proposer							
7.	*Sex (tick ✓ anyone)	Male	Female	Other				
8.	Father's/Husband's name of Proposer							
9.	Full postal address of Proposer							
10.	Mobile No. of the Proposer							

**11. Details of Proposer's name entered in Voter List**

*Ward No. of Municipal Corporation/ Municipality/Municipal Council where Proposer's name is entered	Part No. of the Voter List where Proposer's name is entered	Proposer's Serial No. in the Voter List.

\*Strike out the word not applicable.

.....

**Signature/Thumb impression of Candidate**

Date ..... Name .....

**Consent by the Candidate for Nomination**

I, the above mentioned candidate, assent to this nomination and my details are ...

12.	Date of Birth	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
13.	Age, as on date of scrutiny (in Years)								
14.	Caste/Category (Unreserved/SC/ST/OBC)								
15.	Caste Name (In case a member of reserved category)								
16.	Name of notified district for caste								
17.	**Name of political party by which the Candidate is set up								
18.	Choice of symbols in preference order	1. ....							
		2. ....							
		3. ....							
19.	Name of candidate to be printed on Ballot Paper in Hindi								
20.	Name of candidate to be printed on Ballot Paper in English								
21.	Mobile No. of Candidate								

The above said information is true to the best of my knowledge and belief, I am qualified and not disqualified for being chosen to the seat of Mayor/President/Council or in the above mentioned Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council.

.....

**Signature/Thumb impression of Candidate**

Date ..... Name .....

## Enclosed documents with nomination paper

S.No.	Details of documents	Enclosed (Yes/No)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24(A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.	
2.	<b>Form-8</b> In case the candidate is being set up by a political party under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules,	
3.	<b>Form-9</b> In case the candidate is being set up by a political party under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules,	
4.	Copy of Caste Certificate issued by Competent Officer of the Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.	
5.	<b>Receipt of Security Deposit.</b>	
6.	*Under section-17 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.	
7.	*Under section-17 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.	
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.	
9.	Other	
10.	Other-	

\*Strike out the word not applicable.

\*\*If not being set up by any political party, write "Independent" in the adjacent column.

Signature/Thumb Impression of Candidate

Date ..... Name .....

(To be filled by the Returning Officer).

1.	Serial-Number of Nomination Paper		
2.	Date of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
3.	Time of presentation of Nomination Paper before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination Paper before Returning Officer	Candidate	Proposer

Details of documents enclosed with the Nomination Paper, for which receipt is provided to the candidate (in column number 3 and 4, fill in same details as it is written in the receipt, handed over to the candidate)

S.No.	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit for submission of the particular document to the Returning Officer	
			Date and Time	Occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Affidavit with two extra signed copies regarding declaration of information relating to Criminal antecedent assets, liabilities and educational qualification as per rule 24 (A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules 1994.		Affidavit is mandatory to be submitted only at the time of presenting Nomination Paper to the Returning Officer.	
2.	<b>Form-8</b> In case the candidate is being set up by a political party, under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	<b>Form-9</b> In case the candidate is being set up by a political party, under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
4.	Copy of Caste Certificate issued by the Competent Officer of the Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.
5.	<b>Receipt of Security Deposit.</b>		Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presentation of Nomination Paper to the Returning Officer.	
6.	*Under section-17 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.

7.	*Under section-17 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
9.	Other -			
10.	Other-			

\*Strike out the word not applicable.

.....  
Signature/Thumb impression of Candidate

Date .....

Name .....

**Decision of Returning Officer Accepting or Rejecting the Nomination Paper**

I have examined this Nomination Paper in accordance with rule-28 of the Madhya Pradesh Municipalities Election Rules, 1994 and decided as follows :- (\*\*)

.....  
.....  
.....

.....  
Signature/Thumb impression of Candidate

Date .....

Name .....

\*\*In case nomination paper is rejected, state the reasons therefor.

**Receipt of Nomination Paper and Notice of scrutiny to be handed over to the Candidate**

1.	Serial Number of Nomination Paper		
2.	Date of Presentation of Nomination before Returning Officer		
3.	Time of Presentation of Nomination before Returning Officer		
4.	*Person, who has presented the Nomination before Returning Officer	Candidate	Proposer

5.	Name of Candidate	
6.	*Name of Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council	
7.	Name of post for which the Nomination Paper is presented for election (Write Ward Number in case of the Councillor)	
8.	Date of scrutiny of Nomination Paper	
9.	Time of scrutiny of Nomination Paper	
10.	Place of scrutiny of Nomination Paper	

**Details of documents enclosed with the Nomination paper**

S.No.	Details of document	Enclosed (Yes/No)	If not enclosed, then time limit to present the above document to the Returning Officer	
			Date and Time	Occasion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Affidavit with two extra signed copies</b> regarding declaration of information relating to Criminal antecedent, assets, liabilities and educational qualification as per rule 24 (A) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.			Affidavit is mandatory to be submitted only at the time of presenting Nomination Paper to the Returning Officer.
2.	<b>Form-8</b> In case the candidate is being set up by a political party, under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
3.	<b>Form-9</b> In case the candidate is being set up by a political party, under rule 31(2) of Madhya Pradesh Municipal Election Rules, 1994.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
4.	Copy of Caste Certificate issued by the Competent Officer of the Government of Madhya Pradesh in case of a member of reserved category.			Before scheduled date and time of scrutiny.
5.	<b>Receipt of Security Deposit.</b>			Receipt of Security Deposit is mandatory to be submitted only at the time of presentation of Nomination Paper to the Returning Officer.

6.	*Under section-17 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961. No Dues Certificate from Electricity Company regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
7.	*Under section-17 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956/section-35 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 No Dues Certificate from Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council regarding no outstanding due.			Before scheduled date and time of scrutiny.
8.	An extra Stamp size colour photograph of the candidate for printing on Ballot Paper.			Before scheduled date and time of withdrawal of candidature.
9.	Other -			
10.	Other-			

\*Strike out the word not applicable.

Signature/Thumb impression of Candidate

Date .....

Name .....

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.